न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 28/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 लहरीदेवी पत्नी मनाराम चौधरी		1 नगरपालिका रानी जरिये अधिशाषी अधिकारी
2 मनाराम पुत्र जगाराम जाति चौधरी निवासीगण रानी खुर्द तहसील रानी		2 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांकः– 24.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/एफ.12(3)(5)राज./12/2078 दिनांक 09.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस में कथन किया कि ग्राम रानी खुर्द के खसरा नम्बर 259/685 रकबा 0.19 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 386/686 रकबा 0.18 हैक्टेयर की भूमि पर अपीलाण्ट का गत 50–60 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त है एवं राज्य सरकार की ओर से अपीलाण्ट को भौतिक रूप से कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट के नाम दर्ज करने हेतु अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस भी दिया, किन्तु उनके द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं की गई। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी देसूरी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन था। इसके बावजूद भी जिला कलेक्टर पाली द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये उक्त भूमि को नगर पालिका रानी के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट जैर अपील वादस्थ भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित कराने का अधिकारी था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश से अपीलाण्ट के हकों पर कुठाराघात हुआ है। उक्त वादस्थ भूमि के चारो तरफ अपीलाण्ट द्वारा पक्की दीवार बना रखी है, जिस पर अपीलाण्ट का सेटल पज़ेशन है। उक्त भूमि अपीलाण्ट की पैतृक कृषि भूमि है,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जिसका दौराने भू प्रबन्ध क्षैत्रफल में रद्दोबदल होने से राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम भूमि कम दर्ज हुई है, जबकि आज भी कब्जा काश्त अपीलाण्ट का ही है। उक्त भूमि के समीप ही अन्य भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है, जबकि अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के बावजूद आवंटन नहीं किया गया, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि इस भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त था तथा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रानी खुर्द के खसरा नम्बर 259/685 तथा 386/686 की भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज थी। राज्य सरकार के आदेशानुसार तहसीलदार रानी द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में स्थिति राजकीय सिवायचक भूमियां, जिनमें आबादी बसी हुई है, को पालिका के विकास हेतु उसके पक्ष में हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव प्रेषित करने पर राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए अन्य खसरा नम्बरान् की भूमि सहित जैर अपील वादस्थ भूमि नगरपालिका रानी को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए नगरपालिका रानी को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड अनुसार सिवायचक दर्ज थी तथा नगरपालिका रानी के परिधी क्षेत्र में स्थित होने के कारण तहसीलदार देसूरी द्वारा नगरपालिका रानी को हस्तान्तरित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ.6 (9)राजस्व–6/96/पार्ट–10 दिनांक 02.06.2009 के अनुसरण में अन्य भूमियों सहित जैर अपील वादस्थ भूमि को पालिका के विकास हेतु नगर पालिका के पक्ष में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटित की। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि अपनी पुश्तैनी कब्जा काश्त सुदा होना बताया है। चूंकि जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है तथा सिवायचक भूमि पर बिना विधिपूर्वक काबिज व्यक्ति अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त भी यदि किसी राजकीय भूमि पर वक्त आवंटन अतिक्रमण पाया जाता है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1987 पेज 54 में माननीय मण्डल की वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अतिक्रमी के रूप में किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को वह भूमि आवंटन कर सकती है और अतिक्रमी का कब्जा होते हुए भी भूमि अधिरित (unoccupied) ही समझी जावेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/एफ.12(3)(5)राज./12/2078 दिनांक 09.05.2013 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 24.4.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली